

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 16/2017-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2017

सा.का.नि.\_\_(अ) केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 23/2003-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 31-03-2003, जो सा.का.नि. 266(अ) तारीख 31-03-2003 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित की गई थी, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

2. उक्त अधिसूचना में, -

(क) प्रारंभिक पैरा में "केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) (जिसे इसमें इसके पश्चात केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है), की पहली अनुसूची में अध्याय, शीर्ष संख्या, उप-शीर्ष संख्या" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची के अध्याय संख्या" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ख) सारणी में, (i) क्रम संख्या "3क और 5 से 21 और उससे संबन्धित" प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा; (ii) क्रम संख्या 4 के स्तम्भ (3) में, " इस सारणी के क्रम संख्या 5, 5क, 6, 7 और 7क में निर्दिष्ट है से भिन्न" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा।

(ग) उक्त सारणी के पश्चात, परिशिष्ट में " क्रम संख्या 3क, 5 से 10" में दी गयी शर्तों का लोप किया जाएगा।

3. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से लागू होगी।

[फा.सं.डीजीईपी/एसईजेड/09/2017]

(धर्मवीर शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण। - मूल अधिसूचना सं. 23/2003- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 31-03-2003 को सा.का.नि. सं. 266(अ) तारीख 31-03-2003 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 2, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं.28/2015- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 15-05-2015, जिसे सा.का.नि. 388(अ) तारीख 15-05-2015 द्वारा प्रकाशित कि गई थी।